

जो
न
का
लि

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उपखण्ड नम्बर ६८७५३ ११३ रजिस्ट्रार ऑफ़ वॉक मु० नं० १/११९/१६

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

16/5/22 - आप यह पता करनी रख
सरकार द्वारा खलासे जा रहे हैं "पुशासन
जाके के लेंग फोले अप इनिशियल
शिवि स्थल भारत निमणि रजिस्ट्रार
गाधी सेवा डेटू डिशोरी का पे 21
हुके पंचव वारीनी रजं 48 माला
अधिकार जण उपो पिनके अंगुठा
हस्ताक्षर शासन आदेशिका है,
प्रकरण के वकील पत्रकार द्वारा प्राप्त
बुर्खाना का डेटू एतराज पे 21 नहीं डिफा
रजं आपनी सहमति से प्रकरण के प्रारंभ
बुर्खाना - रिपोर्ट (विभाजन-प्रस्ताव)
मय नम्बरा ट्रेल के अउलम पत्रकार
के मध्य खाता-विभाजन डिफे जाने की
सहमति डी डेटू
वकील पत्रकार के निवेदन का पत्रावली
में संलग्न हस्ताक्षर की ध्यानपूर्वक अवकाश
डिफा गथा (बाद प्रवर्धन पाया गया
कि संलग्न हस्ताक्षर जमावन्दी संभवत
2071-2074 के खाता सं- 349 के वं नं०
740 रकबा 0.48 हे० में वारीनी का 1/3
हिस्सा ब प्रतिवादी सं- 1 का 2/3 हिस्सा
दर्ज रिपोर्ट होता प्रमाणित होता है
रजं पत्रावली में संलग्न बुर्खाना-रिपोर्ट
(विभाजन-प्रस्ताव) NTDR, क्रमांक 16 व

क० लि०

६८७५३

P.T.O

उनवान

मु० न०

तारीख प्रथम	प्रथम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज		
	- पटवारी हाका व P.L.R के अडाल्यु निम्न प्रमाण से विभाजन-पत्र लेख्य का आवगत प्रमाणों का है कि -		
क्र.सं.	पक्षकारानुसार नाम	ख.नं०	रकबा
1.	सोमोती पति शिव जाति मीना सा.पेह खाते (- मुवादीनी सं. 1	740 1	0.16 है.
2.	हर्बाई पति राम - उरण जाति मीना सा.पेह खाते (- मुवादीनी सं. 1	740 2	0.32 है.

अतः पक्षकारानुसार प्रथम उक्त कति
विवादित आराजी का लडासमा रा० कायदेवादी
अधिनियम की धारा 3 के तहत बुरेजात-रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव मय नम्बरा ट्रेस) पर की
गई अधिवक्तागण की सहमति के आधार
पर अलग-अलग खाता कायदेवादी रिपोर्ट
द्वारा दावा वादीनी डिक्ली किया जाता न्यायेचित
है।

अतः आदेश है कि -

दावा वादीनी डिक्ली किया जाता है कि
विवादित आराजी खाता सं. 349 ख.
नं० 740 रकबा 0.58 है डिम्-चाही दूती
काडे गौस लालपुरा तहसील थानागाजी
पिला अलगा का पक्षकारानुसार प्रथम
नीचे संश्लित विवरणानुसार लडासमा
कर अलग-अलग खाता - विभाजन

P.T.O

महानगरपालिका अफिसर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर
हरबाई वनाम सोमोली वर्गी 1/116/19
नवान मुं नं०

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज			नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	
- दिये जाने के आदेश तहसीलदार, - - थानागाजी को दिये जाते हैं				
विभाजन- पत्र				
क्र.सं.	खातेदार का विवरण	ख. नं०	रकबा	विस्म
1.	हरबाई पत्नि रामकरण जाति मीना सा० देह खाते	$\frac{740}{2}$	0.32 हे०	चाही करीब
2.	सोमोली पत्नि श्रवण जाति मीना सा० देह खातेदार	$\frac{740}{1}$	0.16 हे०	चाही करीब

उक्तानुसार सूच्य से फर्चा- डिग्री लेया
की जोबे खे पाबताथ हेतु तहसीलदार
थानागाजी को भिजाई जोबे आदेश
मति जारी है खर्चा अपना-अपना वहन
करेंगे।
यह निर्णय मेरे दाल शिक्ति- स्थल पर
लिखवाया जाव्य हस्ताक्षर व मुहर (मुहूरत)
जारी किया जाव्य मजमे आम सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट.....

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर) राज0

प्रकरण संख्या- 01/119

दायर तिथि -11.07.2016

निर्णय तिथि- 10.05.2022

बअनुवान:- हरबाई पत्नि रामकरण उम्र 58 साल जाति भीणा निवासी नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

-वादीगण

बनाम

सोमोती पत्नि श्रवण उम्र बालिग जाति भीणा वगैरा निवासी नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

- प्रतिवादीगण

पीठारीन अधिकारी - डॉ0 नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
वादी अधिवक्ता - श्री के0के0शर्मा ।
प्रतिवादी अधिवक्ता - श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के

तहत कराये जाने तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत ।

-:पर्चा -डिक्री:-

दिनांक:- 16.05.2022

वाद पत्र वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 (तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा) के तहत स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम लालपुरा तह0 थानागाजी जिला अलवर का नीचे अंकित तालिकानुसार डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के मध्य रास्ते को मध्यनजर रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, थानागाजी को दिये जाते है तथा असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी के उपरोक्त हिस्से दर्ज आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल ना करे , ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करे, तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

क्र. सं0	वादी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	क्र. सं.	प्रतिवादी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	हरबाई पत्नि रामकरण जाति मीना सा0 देह खातेदार	740/2	0.32 है0	2	सोमोती पत्नि श्रवण जाति मीना सा0देह खातेदार	740/1	0.16 है0
		कुल कित्ता 01	कुल रकबा 0.32 है0			कुल कित्ता 01	कुल रकबा 0.16 है0

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 16.05.2022 को प्रशासन गावों के संग अभियान फोलोअप शिविर भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र किशोरी तह0 थानागाजी पर लिखवाई जाकर मजमेआम सुनाई गई। तहसीलदार, थानागाजी को पालनार्थ हेतु पर्चा डिक्री की प्रति भिजवाई जावे । तहरीर जारी हो। खर्चा अपना वहन करेंगे।

डॉ0 नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी जिला अलवर

पीठारीन अधिकारी

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट.....